



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170913

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7926/2026

अनिल

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : भरत सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- 1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
- 2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 179 सन् 2026, धारा 3 सहपठित धारा 2 उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना-दातागंज, जनपद-बदायूँ के अन्तर्गत इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त उल्लिखित प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
- 3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध गैंग चार्ट में केवल एक मूल प्रकरण दर्शाया गया है और उक्त प्रकरण में आवेदक जमानत पर है। आवेदक का कुल पाँच प्रकरणों का आपराधिक इतिहास है और एक आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण को छोड़कर, जिसमें आवेदक ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी, आवेदक पूर्व दोषसिद्ध नहीं है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त सुधीर को इस न्यायालय द्वारा नाबेल संख्या 6423 सन् 2026 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2026 के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि, वह आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए कथनों का खंडन करने में असमर्थ रहे हैं।

5- मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है।

6- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के विरुद्ध केवल एक मूल प्रकरण दर्शाया गया है, जिसमें आवेदक जमानत पर है, आवेदक पूर्व दोषसिद्ध नहीं है तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त सुधीर को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

7- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8- आवेदक-अनिल की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में निम्नलिखित शर्तों के अधीन, थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए:-

i- आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

9- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

10- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

12 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कीर्ति

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!